(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 102/2018

बउनवान

1. छीतरलाल पुत्र ताराचन्द जाति धाकड निवासी सारथल तह. छीपाबडौद जिला बारॉ
2. मांगीलाल पुत्र ताराचन्द जाति धाकड निवासी सारथल तह. छीपाबडौद जिला बारॉ

(अपीलांटगण)

बनाम

1. घांसीलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी सारथल तह. छीपाबडौद जिला बारॉ
2. रामनारायण पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी सारथल तह. छीपाबडौद जिला बारॉ
3. मथुरालाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी सारथल तह. छीपाबडौद जिला बारॉ
4. देवेन्द्र पुत्र बालमुकन्द जाति ब्राहमण निवासी सारथल तह. छीपाबडौद जिला बारॉ
5. कमलाबाई पुत्री भवानीशंकर जाति ब्राहमण निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद
6. बल्लभ पुत्र बिहारी जाति धाकड निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ
7. छोटूलाल पुत्र कालूलाल जाति धाकड निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ
8. प्रेमचन्द पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ
9. राममनोहर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ
10. विष्णु प्रसाद पुत्र चतुर्भुज ब्राहमण निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्व तहसीलदार छीपाबडौद के प्रकरण संख्या :– राजस्व/रास्ता/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :– 1– श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक (अपीलांटगण)
2–श्री लक्ष्य भारद्वाज अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 06.10.2021

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या :– राजस्व/रास्ता/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 से अप्रसन्न होकर विरूद्व रेस्पोडेन्ट के अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:39:17 IST
Reason: Self Attested

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील [illegible]07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन से तलब किया गया [illegible] अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में स्थगन [illegible] संख्या 5/2018 [illegible] रजिस्टर किया जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र [illegible] की एकपक्षीय बहस [illegible] जाकर, स्थगन प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 17.07.2018 से खारिज किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1,2,4,6,9,10 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई एवं रेस्पो. क्रम. 3,5,7,8 बावजूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक 600 दिनांक 06,08.2018 से इस न्यायालय मे मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसके तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय व ग्राम पंचायत ने बिना अपीलांट को सुने एकतरफा निर्णय पारित कर दिया, जो कानून के सिद्वांत के विपरीत है न्याय के सिद्वांतो के अनुसार दूसरे पक्ष को सुनवायी का अवसर दिया जाना चाहिए। जो कि अपीलांट को नही दिया गया है। जिसकी वजह से वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष नही आ सकी और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया।

यह कि विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि ग्राम खेडीजागीर पटवार हल्का कलमोदिया तहसील छीपाबडौद खाता नं. 65 खसरा नम्बर 114 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा है जो कि अपीलांट मांगीलाल, छीतरलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमे से होकर कभी भी कोई रास्ता नोन अपीलांट के अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी मे पहुचने का नही रहा है और ना ही आज वर्तमान मे है। नोन अपीलांट एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका अपने खेत मे आने–जाने का रास्ता सरकारी रास्ते मे से होकर के 15 फीट चौडाई मे है। जो कि आम रास्ता खेडी जा रहा है। यह आम रास्ता सरकार रोड बनिया मुरलीधर व पटवारी पुरूषोत्तम जी के खेत के बीच मे स्थित सरकारी रास्ता मे से होकर के है। अपीलांट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा के चारो तरफ पत्थर का कोट 5 फीट ऊचाई मे पिछले 50 वर्ष से भी अधिक समय से हो रहा है। जिसमे ट्यूबवैल है तथा रहे भरे विशाल पेड खडे है तथा अपीलांट खेती करते है।

यह कि नोन अपीलांट ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपबडौद से छिपाया है कि अपीलांट के द्वारा दायर किया गया वाद इस रास्ते से संबंधित वाद पूर्व से ही वर्ष दिनांक 7 जनवरी, 2013 से न्यायालय एस.डी.ओ. छीपाबडौद मे वाद संख्या 5/2013 एवं स्टे प्रार्थना पत्र संख्या 3/2013 मांगीलाल, छीतरलाल बनाम घासीलाल वगैराह विचाराधीन है। जो कि अभी भी चल रहा है। जिसमे तनकी निर्मित होकर न्यायालय मे आगामी तारीख दिनांक 27.9.2021 वास्ते साक्ष्य जिरह नियत है तथा न्यायालय से स्टे दिनांक 7 जनवरी, 2013 से ही निरन्तर जारी हो रहा है तथा मौका कमिशनर तहसीलदार छीपाबडौद को दिनांक 10.4.2019 को मौका रिपोर्ट पेश करने के आदेश हो रहे है। जब पूर्व से ही वाद विचाराधीन हो, तो अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद सुनवाई का अधिकार नही है। उक्त विचाराधीन वाद मे स्वयं नोन अपीलांट ने जवाबदावा मय काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर रखा है जिसमे उन्होने विशेष आपत्तियों की मद नं0 2 व मद नं0 3 मे वर्णित किया है कि वे डीएलसी रेट से रास्ता के लिए मुआवजा अदा करने को तैयार है मुआवजा तय किया जावे। नक्शा ट्रेस मे भी अपीलांट के उक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी मे से होकर के कोई रास्ता दर्ज अंकित नही है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक कार्य के अनुरूप हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत गया कि ग्राम खेडीजागीर की खातेदारी की भूमि आने जाने का रास्ता अपीलांटगण द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है, जिसको उनके द्वारा ग्राम पंचायत कलमोदिया को भेजा गया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और मौका कमिश्नर की रिपोर्ट ली गई। उक्त रिपोर्ट मे रेस्पो0 के हमारे खेतो पर जाने का कदीमी प्राचीन रास्ता मौजूद था। जिसको अपीलांटगण द्वारा अवरूद्व कर दिया गया था। रेस्पो0 को अपने खेतो पर काश्त करने के लिए आने–जाने का 10 फुट चौडा रास्ता खुलासा कर चालू किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:39:17 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अपीलांट के अभिभाषक का कथन है कि विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि ग्राम खेडीजागीर पटवार हल्का कलमोदिया तहसील छीपाबडौद खाता नं. 65 खसरा नम्बर 114 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा है जो कि अपीलांट मांगीलाल, छीतरलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमे से होकर कभी भी कोई रास्ता नोन अपीलांट के अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी मे पहुचने का नही रहा है और ना ही आज वर्तमान मे है।

रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपने खातेदारी की आराजी मे सदैव से खसरा नम्बर 114 व 115 के बीच तथा खसरा नम्बर 114 व 112, 113 के बीच मे होकर अन्य खसरा नम्बर के बीच मे होकर, उनके पूर्वज 70–80 वर्षो से गाडीबैल, हलकुली, ट्रेक्टर आदि कृषि यन्त्र लाते–लेजाते रहे है, जो लगभग 13–14 फुट चौडा है।

प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या :– राजस्व/रास्ता/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 में रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत गया कि ग्राम खेडीजागीर की खातेदारी की भूमि पर आने जाने का रास्ता अपीलांटगण द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है, जिसको उनके द्वारा पत्रांक 510 दिनांक 24.7.2017 से ग्राम पंचायत कलमोदिया को भेजा गया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही कर रिपोर्ट दिनांक 26.10.2017 को प्रस्तुत की गई, और मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 15.5.2018 को प्राप्त हुई। रेस्पो0 के लगानी खेतो पर जाने का कदीमी प्राचीन रास्ता मौजूद था। जिसको अपीलांटगण द्वारा अवरूद्व कर दिया गया था। रेस्पो0 को अपने खेतो पर काश्त करने के लिए कृषि यन्त्र आदि लाने लेजाने के लिए 10 फुट चौडा रास्ता खुलासा कर चालू किये जाने का आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रकरण मे दिया गया आदेश उचित प्रतीत होतो है, जिसमे यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समक्षता है।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक **06.10.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर,
बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:39:17 IST
Reason: SelfAttested